**न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष संख्या–03, बुलन्दशहर।**

शजर अब्बास बनाम अदनान अली आदि
प्रकीर्ण वाद संख्या –454/2026
अन्तर्गत धारा–175(3) बीएनएसएस
अन्तर्गत थाना – जहांगीराबाद, जिला– बुलन्दशहर

**दिनांक – 08.05.2026**

आवेदक शजर अब्बास की ओर से द्वारा अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बीएनएसएस के तहत विपक्षीगण अदनान अली उम्र 28 वर्ष पुत्र 1. इमरान अली, 2.रजब अली उम्र 48 वर्ष पुत्र मौ० अली, 3. हैदर हसन उम्र 30 वर्ष पुत्र शमशुल हसन, 4. मौहम्मद हसन उम्र 28 वर्ष पुत्र शमशुल हसन 5. मुशीर अख्तर उम्र 30 वर्ष पुत्र नकी अख्तर 6. एडवोकसरूल हसन उम्र 29 वर्ष पुत्र असद अली 7. मोहम्मद अब्बास उम्र 33 वर्ष पुत्र दिलशाद अली 8. अंसार उम्र 35 वर्ष पुत्र जफर अब्बास 9. कामरान उम्र 23 वर्ष पुत्र जफर अब्बास 10. नादिर अली उम्र 35 वर्ष पुत्र मुहर्रम 11. आमिर अब्बास उम्र 33 वर्ष पुत्र आजाद अली 12. अली हैदर उम्र 40 वर्ष पुत्र मौहब्बत अली 13. मुख्तार हुसैन उम्र 48 वर्ष पुत्र दिलशाद अली 14. अली मुर्तजा उम्र 29 वर्ष पुत्र मुख्तार हुसैन 15. कैसर अब्बास उम्र 36 वर्ष पुत्र मकसूम अली 16. नबी हैदर उम्र 46 वर्ष पुत्र हबीब हैदर 17. अबु तालीब उम्र 41 वर्ष पुत्र असद 18. जर्रार हैदर उम्र 32 वर्ष पुत्र कर्रार हैदर, अली हाशिम उम्र 28 वर्ष पुत्र जर्रार हैदर समस्त निवासीगण ग्राम साखनी, थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर के विरूद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अपने कथानक के समर्थन में आवेदक द्वारा स्थानीय पुलिस को दिए गए प्रार्थनापत्र की प्रति आदि प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 18.01.2026 की रात्रि 08.30 बजे प्रार्थी का चचेरा भाई मौहम्मद इमरान अपने कुछ साथी कासिद अब्बास, मौ० अली पुत्र जरगाम अली, जरगाम अली पुत्र हैदर अली, शबीबुलहसन उर्फ भूरा पुत्र इबनेहसन, कुमेल अब्बास पुत्र असदउल्लाह, सुहेल अब्बास पुत्र असदउल्लाह, शहादत्तअली पुत्र नासिर समस्त निवासीगण ग्राम साखनी, थाना जहांगीराबाद, के साथ सिया मस्जिद के पास खड़े बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर अदनान अली पुत्र इमरान अली, रजब अली पुत्र मौ० अली, हैदर हसन पुत्र शमशुल हसन, मौहम्मद हसन पुत्र शमशुल हसन, मुशीर अख्तर पुत्र नकी अख्तर, कमरूल हसन पुत्र असद अली, मौहम्मद अब्बास पुत्र दिलशाद अली, अंसार, कामरान पुत्रगण जफर अब्बास, नादिर अली पुत्र मुहर्रम, आमिर अब्बास पुत्र आजाद अली, अली हैदर पुत्र मौहब्बत अली, मुख्तार हुसैन पुत्र दिलशाद अली, अली मुर्तजा पुत्र मुख्तार हुसैन, कैसर अब्बास पुत्र मकसूम अली, नबी हैदर पुत्र हबीब हैदर, अबु तालीब पुत्र असद, जर्रार हैदर पुत्र कर्रार हैदर, अली हाशिम पुत्र जर्रार हैदर, समस्त निवासीगण ग्राम साखनी, आदि सभी लोग एकराय मश्वरा होकर अपने–अपने हाथों में लोहे की रॉड, धारदार हथियार व अवैध पिस्तौल, तमंचे लेकर जान से मारने की नीयत से इमरान आदि पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से हैदर अली पुत्र शमशुल ने तमंचे से फायर किया और सभी लोग कहने लगे कि तुम लोग बहुत आजाद प्रधान को सपोर्ट करते हो, तुम्हारी वजह से हम प्रधानी जीत नहीं पा रहे हैं। इमरान आदि के गम्भीर चोटें आयी हैं। उक्त घटना को रजब अली पुत्र मौहम्मद अली द्वारा षडयन्त्र रचकर कारित कराया गया है। प्रार्थी के चचेरे भाई इमरान ने थाना जहांगीराबाद पर उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु थाना पुलिस द्वारा घायलों के मैडिकल नहीं कराये गये और ना ही रिपोर्ट दर्ज की गयी। इसके अभियुक्तगण

के प्रभाव में आकर थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा दिनांक 19.01.2026 को मु०अ०सं०–33/2026 धारा–191(2),191 (3), 190, 352, 131, 351(3), 109(1) बी०एन०एस० में प्रार्थी एवं 13 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया तथा प्रार्थी एवं उसके पिता आजाद अली व कासिद अब्बास उर्फ भप्पू को उपरोक्त मुकदमे में जेल भेज दिया गया। प्रार्थी जमानत पर छुटकर आया है, जिस कारण अब तक उपरोक्त मुकदमे को दर्ज नहीं करा सका था। प्रार्थी ने दिनांक 17.03.2026 को एस०एस०पी० महोदय, बुलन्दशहर को डाक व दस्ती के रूप में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बावजूद भी प्रार्थी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के वाके की रिपोर्ट थाना जहांगीराबाद पर दर्ज कराया जावे।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण ने सभी लोग एकराय मश्वरा होकर अपने–अपने हाथों में लोहे की रॉड, धारदार हथियार व अवैध पिस्तौल, तमंचे लेकर जान से मारने की नीयत से इमरान आदि पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से हैदर अली पुत्र शमशुल ने तमंचे से फायर किया, जिससे इमरान आदि के गम्भीर चोटें आने की बात कही गयी है। उक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के मध्य उक्त बात को लेकर आपस में झगड़ा होने की बारदात हुयी है। थाने की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी अदनान अली के द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 19.01.2026 को मु०अ०सं०–33/2026 धारा–191(2),191 (3), 190, 352, 131, 351(3), 109(1) बी०एन०एस० बनाम शजर अब्बास 15 नफर के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही पक्ष की दर्ज की गयी। अतः दोनों ही पक्षों की बात विवेचना में आ सके और यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 33 सन् 2026 का क्रोस केस भी प्रतीत हो रहा है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तथा उक्त वर्णित कारणों से प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध का बनना प्रतीत होता है। पुलिस द्वारा विवेचना कराए जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक **शजर अब्बास** की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 175 (3) बीएनएसएस स्वीकार किया जाता है।

सम्बन्धित थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करें/कराएं।

**(अर्चना सिंह–II)**
**अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड),**
**/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**न्याय कक्ष संख्या–3 बुलन्दशहर।**
J.O. Code–UP2630

स्टेनो–शुभम शर्मा